न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—71 / 2021 (2021 / 198) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—अणछी पुत्री शिवलाल जांगीड़ ब्राहम्ण (खाती) निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—जगदीशचन्द्र आत्मज शिवलाल जांगीड़ ब्राहम्ण (खाती) निवासी नान्दशा तहसील रायपुर
3—देउ पुत्री शिवलाल जांगीड़ ब्राहम्ण (खाती) निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—नन्दुदेवी पत्नि शिवलाल जांगीड़ ब्राहम्ण (खाती)निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—भैरूलाल आत्मज शिवलाल जांगीड़ ब्राहम्ण (खाती) निवासी नान्दशा तहसील रायपुर
6—मोहनी पुत्री शिवलाल जांगीड़ ब्राहम्ण (खाती) निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1—खेमा आत्मज बरदा जांगीड़ ब्राहम्ण (खाती) निवासी नान्दशा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. सुनिल बापना — अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. पी.एस.चुण्डावत — अधिवक्ता विपक्षीगण

निर्णय

दिनांकः—04.01.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि बैरून हल्का आबादी ग्राम नान्दशा तहसील रायपुर की सरहद मे प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 के स्वामित्व आधिपत्य एवं हक अधिकार की आराजी संख्या 3321 / 798 रकबा 0.1925 है0, आराजी संख्या 617 रकबा 2.81 है0, आराजी संख्या 635 रकबा 1.30 है0, आराजी संख्या 806 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 807 रकबा 0.16 है0, आराजी संख्या 839 रकबा 0.28 है0, आराजी संख्या 855 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 875 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 876 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 877 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 878 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 879 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 900 रकबा 0.23 है0, आराजी संख्या 901 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 902 रकबा 0.23 है0, आराजी संख्या 903 रकबा 0.20 है0, आराजी संख्या 904 रकबा 0.20 है0, आराजी संख्या 905 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 906 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 907 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 908 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 909 रकबा 0.05 है0 कुल किता 22 कुल रकबा 1.292 [illegible] खाता संख्या 450 पर दर्ज होकर स्थित है। जमाबंदी संवत 2076 से 2079 [illegible] प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में अकिंत आराजियात में प्रार्थीगण [illegible] हिस्सा या [illegible] ना पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत [illegible] का संयुक्त रूप से [illegible] हिस्सा एवं विपक्षी संख्या 1 का 1 / 2 हिस्सा निहित है। संयुक्त खातेदारी की उक्त आराजियात काफी समय पूर्व विपक्षी संख्या 1 ने प्रार्थीगण के पिता व पति के जीवनकाल में चोपनिये में बंटवारा करके

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.02.18 16:34:32 IST
Reason: SelfAttested

हिस्से की जमीन मौके पर सोप रखी है उक्त सम्पूर्ण भूमि जो ग्राम की आबादी के नजदीक है जो सौप रखी है तभी से निरन्तर कब्जे काश्त चला आ रहा है। सामलाती खाते की अन्य आराजियात में बिना विभाजन कराये ही विक्रय कर जबरन बेदखल व निर्माण करवा कब्जे काश्त में व्यवधान, बाधा रूकावट व आराजी में मकान निर्माण करने पर विपक्षी संख्या 1 द्वारा मना करने पर प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित है व सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है दौराने वाद किसी प्रकार की कोई बाधा व रूकावट, विक्रय या अजनबी व्यक्ति को प्रवेश दिला देगा तो प्रार्थीगण को भारी अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण के पक्ष में विपक्षी के विरूद्व ताफैसला मूलवाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि उक्त वर्णित आराजियात में किसी प्रकार की बाधा, रूकावट व्यवधान पैदा नही करे, निर्माण नही करे न ही विधिवत विभाजन के बिना अपने हक हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग व प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 की हिस्से की आराजी में किसी प्रकार रहन, बय, बक्षीस नही करे व किसी अजनगी व्यक्ति को प्रवेश नही करावे व विपक्षी संख्या 1 विपक्षी संख्या 2 के यहां किसी प्रकार का कोई पंजीयन इस आराजियात बाबत् करवाता है तो रोके जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक 05.10.2021 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित जवाब होकर मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति में मूलवाद के के निस्तारण तक कब्जे अनुसार सहमति जाहिर करते हुए पत्रावली पर हस्ताक्षर किये गये।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई –

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मुख्य कथन किया कि विपक्षी प्रार्थीगण की आराजी पर कब्जा करना चाह रहे है जिससे उनके विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे व प्रार्थीगण की आराजी में निर्माण किया गया उसे आदेशात्मक अस्थाई निषेधाज्ञा के हटवाई जावे।

विपक्षी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे कथन किया कि प्रार्थीगण एवं विपक्षी की सामलाती आराजी है जिसका बिना विभाजन कराये ही निर्माण करना चाह रहे जिसको मूलवाद के निस्तारण तक रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखवाई जाने का निवेदन किया गया।

मैने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन कर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो पाया कि ग्राम नान्दशा की उक्त वर्णित आराजियात प्रार्थीगण व विपक्षी की संयुक्त खातेदारी आराजी है। प्रार्थीगण व विपक्षी की उक्त वर्णित खाता संख्या 450 में अंकित आराजियात कुल किता 22 कुल रकबा 7.2925 है [illegible] बिना विभाजन कराये किसी प्रकार का निर्माण या खुर्द बुर्द करने से प्र[illegible] क्षति होने की संभावना है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व विपक्षी [illegible] अपनी बहस के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक [illegible] जाकर दोनो पक्षकारो के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.02.18 16:34:32 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. आशिंक स्वीकार कर मूलवाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित ग्राम नान्दशा की आराजी संख्या 3321/798 रकबा 0.1925 है0, आराजी संख्या 617 रकबा 2.81 है0, आराजी संख्या 635 रकबा 1.30 है0, आराजी संख्या 806 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 807 रकबा 0.16 है0, आराजी संख्या 839 रकबा 0.28 है0, आराजी संख्या 855 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 875 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 876 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 877 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 878 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 879 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 900 रकबा 0.23 है0, आराजी संख्या 901 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 902 रकबा 0.23 है0, आराजी संख्या 903 रकबा 0.20 है0, आराजी संख्या 904 रकबा 0.20 है0, आराजी संख्या 905 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 906 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 907 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 908 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 909 रकबा 0.05 है0 कुल किता 22 कुल रकबा 1.2925 है0 भूमि में मौके पर कब्जे अनुसार प्रार्थीगण व विपक्षी को बेदखल नही करे तथा किसी भी प्रकार का निर्माण दोनो पक्ष न तो स्वयं करे न अन्य से करावे। दोनो पक्षो के कब्जे की भूमि में दखलदांजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे। उक्त वर्णित आराजियात के रेकार्ड और मौके की यथास्थिति बनाई रखे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.01.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

4.1.22

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.02.18 16:34:32 IST
Reason: SelfAttested